

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/129
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00120
CICOM/R/2018/00332

दिनांक: 15.05.2018

अपीलकर्ता : श्री निरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम - शोकहारा-2,
राजेन्द्र पथ बरौनी, पो 0 - बरौनी,
जिला - बेगूसराय, बिहार - 851112.

निर्णय की तारीख: 15.05.2018

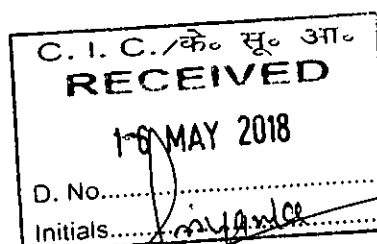
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	21.03.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	13.04.2018, 20.04.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.05.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	210/09.05.2018 (129244/08.05.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 21.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील आदेश (CIC/AB/A/2016/001090) के अनुपालन से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकार एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 21.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकार एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय द्वारा दिनांक 20.04.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00332/228 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



राजेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकाष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

16/5/18